संख्या:11/2018/51/छप्पन-2018-34/2014

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2018

विषय: कै0 अरूण कुमार को दिनांक 17-02-2017 से दिनांक 02-03-2017 तक फ्लाईट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 में दिए गए प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2613/ना0उ0नि0/लेखा/2017, दिनांक 03 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्सपी पर कै0 अरूण कुमार को मेसर्स फ्लाईट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 द्वारा शुल्क भुगतान के आधार पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग (दिनांक 17-02-2017 से 02-03-2017 तक) (14 दिन) की प्रशासकीय स्वीकृति सहित कुल रूपये 15,56,050 (रूपये पन्द्रह लाख छप्पन हजार पचास मात्र) के व्यय एवं विदेश यात्रा भत्ता की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-14/2017/133/छप्पन-17-34/14 दिनांक 14-02-2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2017/133(2)/छप्पन-17-34/14 दिनांक 15-02-2017 द्वारा प्रदान की गई है।

2- उक्त स्वीकृति में से रूपये 12,56,500/- का भुगतान मेसर्स फ्लाईट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0 को किया गया है। शेष रूपये 2,99,550/- के सापेक्ष कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) द्वारा विदेश यात्रा पूर्ण करने के पश्चात् यात्रा भत्ता देयक के रूप में दिनांक 16-02-2017 से दिनांक 28-02-2017 तक रूपये 3,35,054/- का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे परीक्षणोपरान्त रू0 3,28,857/- सही पाया गया है। कै0 अरूण कुमार द्वारा प्रस्तुत विदेश यात्रा देयक रू0 3,28,857/- में से आकस्मिक देयक संख्या-581 दिनांक 18-02-2017 द्वारा विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत अग्रिम रू0 2,99,550/- को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 29,307/- की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित प्रस्तुत विदेश यात्रा भत्ता देयक की अवशेष अतिरिक्त धनराशि रूपये 29,307/- (रूपये उनतीस हजार तीन सौ सात मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-11/2018/51(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम(आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

4- सम्बन्धित अधिकारी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।